07.6.22 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित।
वकील प्रार्थी की बहस पर मनन करने के

फर्द अहकाम

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पश्चात् एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् पाया गया कि प्रार्थी की तहसील रावला के चक 8DOL-A के प.नं. 55/59 मु.नं. 07 के किला नं. 5,6,8,11 ता 13,15,19,20 की कुल 2.150 हैक्टेयर कृषि भूमि है एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम प.नं. 55/59 के किला नं. 1 ता 4, 7 ता 10, 14 की कुल 2.151 हैक्टेयर कृषि भूमि है। प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए कि.नं. 14 के दक्षिण दिशा की तरफ 1½ बिस्वा रास्ता स्वीकृत किए जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी को परिये नोटिस तलब किया गया। विधिवत रूप से तामिल होने के पश्चात् भी अप्रार्थी के उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार से माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें उस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के उक्त मुरबे के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र	

अंतर्गत धारा 251-A RTA स्वीकार किया
जाकर तहसील रावला के चक 8 DOL-A
के मु. नं. 55/59 के किला नं. 14 में दक्षिण
दिशा की तरफ 1½ बिस्वा रास्ता स्वीकृत
किया जाता है बशर्ते कि प्रार्थी उक्त
रास्ता की एवज में डीएलसी दर से दुगुनी
राशि का भुगतान अप्रार्थी को करेंगे एवं
तहसीलदार राजस्व रावला को आदेशित
किया जाता है कि उक्तानुसार राशि का
भुगतान होने पर अथवा अप्रार्थी के उप०
आने तक राजकोष में जमा करवाकर नियमा
-नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद
किया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील
होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07/06/22
को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया
जाकर सुनाया गया।

(अखिलेश)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना